AFFILIATION RENEWAL
2021-22

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 670/अकादमी/सम्बद्धता/2021 भोपाल, दिनांक 23-06-2021

प्रति,
प्राचार्य

679-CHOUHAN COLLEGE OF EDUCATION
SALAIYA
BHOPAL

विषयः– सत्र 2021-22अस्थाई संबद्धता की निरंतरता प्रदान करने विषयक ।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10-06-2021 में की गई अनुशंसा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के अंतर्गत कुलपति जी को प्राप्त अधिकार के तहत स्वीकृति में स्वीकृति नियामक संस्था की मान्यता के आधार पर आपके महाविद्यालय को निम्नांकित पाठ्यकमों **की अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2021–22** हेतु दर्शित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यकम का नाम	सीट संख्या
1	**बी. एड. (दो वर्षीय पाठ्यकम)**	50

शर्ते–

1. प्रदत्त अस्थाई संबद्धता निरंतर करने हेतु आगामी सत्र 2022–23 के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा **NCTE** की मान्यता, निर्धारित संबद्धता शुल्क एवं आवेदन पत्र के साथ नियत दिनांक तक आवेदन करना होगा।
2. उच्च शिक्षा विभाग/नियामक संस्था द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रकिया पूर्ण की जा सकेगी। अन्यथा प्रदत्त अस्थाई संबद्धता मान्य योग्य नहीं होगी। किसी भी शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह संबद्धता पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
3. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र/छात्रा का प्रवेश मान्य नहीं होगा। उसकी संपूर्ण जबाबदार महाविद्यालय प्रबंधन की होगी।
4. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश कमांक 5,6,7 का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
5. प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति कालेज कोड–28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची तीन माह में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. महाविद्यालय का आय–व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)
7. आपको शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
8. विश्वविद्यालय में जमा की जाने वाली **FDR** की पूर्ण जानकारी 1 माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (अशासकीय महाविद्यालय हेतु)

आदेशानुसार

उप–कुलसचिव, (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

पृ0 कमांक 671/अकादमी/सम्बद्धता/2021 भोपाल, दिनांक 23-06-2021

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल ।
3. क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा एवं अधिष्ठाता छात्र कल्याण, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

सहायक–कुलसचिव, (अकादमी)